

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

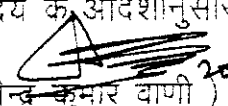
// आदेश //

क्रमांक C/4269/

जबलपुर, दिनांक 23/09/2019

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/2179 जबलपुर, दिनांक 06.05.2019 एवं सी/3361 जबलपुर, दिनांक 22.07.2019 जहाँ तक उसका संबंध अनुक्रमांक 3 श्री सुदीप तिवारी आत्मज श्री विपिन तिवारी एवं अनुक्रमांक 38 कु. पूजा कुमरे आत्मजा श्री बोगीराम कुमरे एवं अनुक्रमांक 3 कु. रूपाली सोलंकी आत्मजा श्री सुभानसिंह सोलंकी को क्रमशः उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर/मुख्यपीठ जबलपुर/खण्डपीठ इन्दौर की स्थापना पर सहायक ग्रेड-तीन (जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट) के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने से हैं के द्वारा संबंधित रजिस्ट्री में कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त की जाती है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीपति
महोदय के आदेशानुसार


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/4270/
प्रतिलिपि -

जबलपुर, दिनांक 23/09/2019

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.),
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन)/न्यायिक 1 एवं 2/(डी.इ.)/(आई.एल.)/(सतर्कता)/एक्जाम एंड लेबर जूडिशियरी, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार (एम.)/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु
6. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर
7. ज्वार्ट रजिस्ट्रार (एम.).....(समस्त) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम.).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.).....(समस्त) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या.) स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
11. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, न्यायिक/सतर्कता/एक्जाम एवं आई. एल. आर महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. सहायक स्थापना/अवकाश/लेखा/बजट/पेंशन/सेवापुस्तिका/वेतन पत्रक/
14. डी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,
16. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
17. SHRI SUDEEP TIWARI S/O SHRI VIPIN TIWARI, CHET GIRI COLONY, GALI NO 2, WARD NO. 40, CHHATARPUR (M.P.) 471001
18. KU. POOJA KUMRE D/O SHRI BOGI RAM KUMRE, JAWAHAR NAGAR, NEW PAHADE COLONY, M.L. IWNATI HOUSE, DISTT. CHINDWARA (M.P.) 480001
19. KU. RUPALI D/O SHRI SUBHANSINGH SOLANKI, H-5, CHOLI ROAD, JAL SANSADHAN COLONY, WARD NO. 15, MANDLESHWAR, TEHSIL MAHESHWAR (M.P.) 451221

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
फिर

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4271/

जबलपुर, दिनांक 23/09/2019

निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को सहायक ग्रेड-तीन (जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट) के पद पर वेतनमान रु. 5200-20200 + ग्रेड पे 1900/-(7 वें वेतनमान में लेवल 4 पे मेट्रीक्स 19500-62000) में नियमानुसार समय-समय पर देय भत्तों सहित परिवीक्षा पर 2 वर्ष के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई पदस्थापना पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	नाम	पदस्थापना का स्थान
1.	कु. मनीषा प्रजापति आत्मजा श्री रामकुमार प्रजापति	खण्डपीठ ग्वालियर
2.	श्री मनोज मर्सकोले, आत्मज श्री रामसिंह मर्सकोले	खण्डपीठ इन्दौर
3.	श्री योगनारायण सिंह आत्मज श्री दसोगा सिंह	मुख्यपीठ जबलपुर

- यह कि वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
- यह कि चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र दो प्रतियों में एवं पुलिस वैरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म तीन प्रतियों में तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पुलिस वैरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड है।
- यह कि चयनित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर संबंधित पदस्थापना (मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर) के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है, और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारी दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
- यह कि वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थी की मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते हैं तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा।
- यह कि चयनित अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थता परीक्षण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा।

6. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
7. यह कि, आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी।
8. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
9. यह कि, किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा, बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
10. यह कि, आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उनके द्वारा जाति संबंधी प्रस्तुत प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है, उसका सत्यापन कराया जावेगा। यदि सत्यापन उपरांत प्रमाण-पत्र फर्जी या कूटरचित पाये गये अथवा यह पाया गया कि उक्त प्रमाण-पत्र के आधार पर उन्हें वर्ग विशेष के लिये आरक्षित पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं था तो नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी।
11. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त समझी जावेगी।
12. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तों में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा।
13. यह कि, चयनित अभ्यर्थी पाँच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।
14. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति

महोदय के आदेशानुसार

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
26/11/19

//3//

पृष्ठांकन क्रमांक C/4272/

जबलपुर, दिनांक 23 /09/2019

प्रतिलिपि -

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.),
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन)/(न्यायिक 1 एवं 2)/(डी.ई.)/(आई.एल.)/(सतर्कता)/एकजाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार (एम)/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु
6. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर
7. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम).....(समस्त) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एन).....(समस्त) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. एडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर (न्या.) स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
11. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, न्यायिक/सतर्कता/एकजाम एवं आई एल. आर महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. सहायक स्थापना/अवकाश/लेखा/बजट/पेंशन/सेवापुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,
15. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
16. कु. मनीषा प्रजापति, आत्मजा श्री रामकुमार प्रजापति, तपसी बाबा मंदिर के पीछे, नाला नं.-2 मुरैना (म.प्र.), 476001
17. श्री मनोज मर्सकोले, आत्मज श्री रामसिंह मर्सकोले, 66, ग्राम पीपलपाटी, पोस्ट-पीपरी, तहसील बागली, जिला-देवास (म.प्र.), 455227
18. श्री योगनारायण सिंह, आत्मज श्री दरोगा सिंह, वार्ड क्रं.-11, पुरनी बस्ती रोड, चेतना नगर, अनूपपुर (म.प्र.), 484224

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
for

